सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0-272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

# अधिसूचना

एतद्द्वारा संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, गोरखपुर सम्भाग-ए, तारामण्डल गोरखपुर के पत्रांक-258/सम्बद्धता शुल्क पर कर देयता/2022-23/संयुक्त आयुक्त(कार्य0) राज्य कर, गो0सं-ए, गोरखपुर, दिनॉक-19 मई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें अवगत कराया गया है कि शैक्षणिक व तकनीकी विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों एवं कालेजों से निश्चित आवेदन शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क प्राप्त करते हुए सम्बद्धता प्रदान की जाती है तथा सम्बद्धता प्रदान किये जाने विषयक समस्त प्रकार का प्राप्त शुल्क जी0एस0टी0 व्यवस्था में करमुक्त श्रेणी में वर्णित नहीं है तथा इस प्रकार जी0एस0टी0 की देयता बनती है।

सूच्य है कि उक्त पत्र के क्रम में राज्य कर विभाग, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय के पत्र सं0-860/सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2022, दिनॉक-31.05.2022 द्वारा अवगत करा दिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 से अद्यतन महाविद्यालयों से निश्चित आवेदन शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क ही लिया गया है एवं उक्त हेतु कोई अतिरिक्त जी0एस0टी0 नहीं ली गई है।

अतः मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार समस्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः- यथोक्त।**

भवदीय

**कुलसचिव,**
**सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,**
**सिद्धार्थनगर।**

पत्रांक-861 /सूचना/2022 दिनांक- 31/05/2022

**प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

# राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांक 258/सम्बद्धता शुल्क पर करदेयता/2022-23/संयुक्त आयुक्त(कार्य0)राज्य कर,गो0सं-ए,गोरखपुर।

प्रेषक,

संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) राज्य कर,
गोरखपुर सम्भाग-ए, तारामण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

दिनांक : गोरखपुर : 19 मई 2022

**विषय- शासकीय/निजी शैक्षणिक विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त की गयी सम्बद्धता शुल्क पर कार्यवाही के सम्बंध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि शैक्षणिक व तकनीकी विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों एवं कालेजों से निश्चित आवेदन शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क प्राप्त करते हुए सम्बद्धता प्रदान की जाती है तथा सम्बद्धता प्रदान किये जाने विषयक समस्त प्रकार का प्राप्त शुल्क जी0एस0टी0 व्यवस्था में करमुक्त श्रेणी में वर्णित नहीं है तथा इस पर जी0एस0टी0 की देयता बनती है।

अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के पत्रांक-72 दिनांक 05-05-2022 द्वारा जोन में स्थित शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों से सम्बध्द निजी महाविद्यालयों एवं कालेजों की संख्या एवं जी0एस0टी0 अधिनियम(01 जुलाई 2017) लागू होने के उपरांत शैक्षणिक सत्र/वर्षवार प्राप्त की गयी सम्बद्धता एवं अन्य समकक्ष शुल्क तथा उक्त प्राप्त किये गये वर्षवार शुल्क पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये कर के सम्बंध में सूचना संकलित कराने एवं संकलित सूचना का विश्लेषण जी0एस0टी0 अधिनियम के प्राविधानों एवं तत्क्रम में जारी परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुसार कराते हुए नियमानुसार देय सेवा कर का भुगतान न करने वाले शासकीय/निजी शैक्षणिक एवं तकनीकी विश्विद्यालयों को चिन्हित करते हुए यथावश्यक जांच एवं विधि अनुरूप कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

अतः आप से अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों एवं कालेजों की संख्या एवं जी0एस0टी0 अधिनियम लागू होने के उपरांत शैक्षणिक सत्र/वर्षवार प्राप्त की गयी सम्बद्धता एवं अन्य समकक्ष शुल्क तथा उक्त प्राप्त किये गये वर्षवार शुल्क पर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये कर के सम्बंध में सूचना निर्धारित प्रारूप में राजस्व हित में पत्र प्राप्ति के 07 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**प्रारूप**

| विश्वविद्यालय का नाम व पता | जी0एस0टी0आई0एन0 (पंजीकरण संख्या) | वित्तीय वर्ष | संबध्दता प्रदान किये गये निजी कालेजों का विवरण | वसूल की गयी संबध्दता एवं अन्य समकक्ष शुल्क की धनराशि | कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि नियत अवधि में सूचना उपलब्ध न कराने की दशा में आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा-122(xvii) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

भवदीय,

(पी0सी0 गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर,
गोरखपुर सम्भाग-ए, गोरखपुर।